संयुक्त हस्ताक्षर पुष्टिकरण और बिना हस्ताक्षर वाला पहचान लिफाफा कथन और निर्देश

इस कथन को पूरा करने से पहले इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
इन निर्देशों का पालन न करने से हो सकता है कि आपके मतपत्र की गणना न की जाए।

1. हमने निर्धारित किया है कि या तो जो हस्ताक्षर आपने अपने डाक-द्वारा-मतदान या अनंतिम मतपत्र पहचान लिफाफे पर किए थे, वह हस्ताक्षर आपके मतदाता रिकॉर्ड में फ़ाइल पर रखे गये हस्ताक्षर(रों) से मेल नहीं खाते हैं **या** आपने अपने मतपत्र पहचान लिफाफे पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि **3 नवम्बर, 2026, आम चुनाव** के लिए आपके मतपत्र की गणना की जाएगी, यह पूरा किया गया हस्ताक्षर सत्यापन कथन हमारे कार्यालय द्वारा जितनी जल्दी हो सके प्राप्त किया जाना ज़रूरी है, लेकिन **25 नवम्बर, 2026 को शाम 5 बजे से पहले-पहले**। नीचे जहाँ निर्दिष्ट किया गया है, वहाँ आपको अपने नाम के हस्ताक्षर करने होंगे और अपना पता लिखना होगा।

3. अगर यह इन निर्देशों के साथ शामिल किया गया है, तो अपना पूरा किया हुआ कथन डाक-शुल्क अदा किये हुए वापसी लिफाफे में डालें। अगर इन निर्देशों के साथ कोई वापसी लिफाफा शामिल नहीं किया गया है, तो अपने हमारे कार्यालय को संबोधित किए गये अपने स्वयं के डाक लिफाफे का इस्तेमाल करें। डाक से भेजें, डिलीवर करें या अपना पूरा किया हुआ कथन हमारे कार्यालय के पास पहुंचाएँ। अगर आप अपने स्वयं के लिफाफे का इस्तेमाल करके अपना पूरा किया हुआ कथन डाक से भेजते हैं, तो सुनिश्चित करें कि उस पर पर्याप्त डाक टिकट लगा है और हमारे कार्यालय का पता सही है।

4. अगर आप अपना पूरा किया हुआ कथन डाक से नहीं भेजना चाहते हैं या इसे डिलीवर नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपना पूरा किया हुआ कथन ईमेल या फैक्स द्वारा हमारे कार्यालय को भेज सकते हैं, या अगर उपलब्ध करवाया गया है, तो किसी इलेक्ट्रॉनिक जरिए से भेज सकते हैं, या चुनाव के दिन मतदान बंद होने से पहले अपना पूरा किया हुआ कथन काउंटी के भीतर बने किसी मतदान स्थल या मतपत्र ड्रॉप-बॉक्स में जमा करवा सकते हैं।

5. कृपया ध्यान दें कि पूरे किए हुए कथन पर दिए गए हस्ताक्षर को आपके पंजीकरण रिकॉर्ड में भविष्य के चुनावों में हस्ताक्षर की तुलना करने के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

कथन

मैं, ______________________________ (कृपया नाम लिखें), ________________________ काउंटी, California राज्य का एक पंजीकृत मतदाता हूँ।

मैं झूठी गवाही के जुर्माने के तहत घोषणा करता/ती हूँ कि मैंने डाक-द्वारा-मतदान या अनंतिम मतपत्र प्राप्त किया और वापस किया है और यह कि मैंने इस चुनाव में एक से अधिक मतपत्र पर मतदान नहीं किया है और न ही करूंगा/गी। मैं उस चुनाव क्षेत्र का निवासी हूँ जहाँ मैंने मतदान किया है, और मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका नाम डाक-द्वारा-मतदान या अनंतिम मतपत्र लिफाफे पर दिखाई देता है। मैं समझता/ती हूँ कि अगर मैं मतदान के संबंध में कोई धोखाधड़ी करता/ती हूँ या करने का प्रयास करता/ती हूँ, या अगर मैं ऐसा करने में सहायता करता/ती हूँ या धोखाधड़ी करता/ती हूँ या मतदान के संबंध में धोखाधड़ी में सहायता करने या उकसाने का प्रयास करता/ती हूँ, तो मुझे घोर अपराध का दोषी ठहराकर 16 महीने या दो या तीन साल के कारावास का दंड दिया जा सकता है। मैं समझता/ती हूँ कि इस कथन पर हस्ताक्षर न करने का अर्थ है कि मेरा डाक-द्वारा-मतदान या अनंतिम मतपत्र अमान्य कर दिया जाएगा।

आपके काउंटी के चुनाव अधिकारी का आपके हस्ताक्षर की तुलना आपके मतदाता पंजीकरण रिकॉर्ड में मौजूद हस्ताक्षर(रों) से करना आवश्यक है, जिसमें आपके ड्राइवर लाइसेंस या राज्य पहचान पत्र पर मौजूद हस्ताक्षर भी शामिल हो सकते हैं।

______________________________ मतदाता के हस्ताक्षर	____ पूरा नाम लिखें (जैसे कि मतदान के लिए पंजीकरण करते समय दिया गया था)

____
पता